

बिहार सरकार

कृषि विभाग

fufonk

l a Ør Ñf'k funs'kd&l g&fu; a-d] eki , oar[ŷ] fcgkj] i Vuk dk dk kŷ;]

Ñf'k ½eki &r[ŷ]½foHkx] jkt kckt kj] i VukA

foKki u i VV ½gkMk½grqfufonk vlea. k l puk

निबंधित संवेदकों/ख्यातिप्राप्त फार्मों/कम्पनियों से 104 प्रखण्ड मुख्यालय में विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग) लगाने हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है जो दिनांक 12.03.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा दिनांक 13.03.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न को तकनीकी निविदा एवं दिनांक 13.03.2018 को वित्तीय निविदा 4.00 बजे अपराह्न में कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति तथा निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उनके कार्यालय कक्ष, कृषि निदेशालय, बिहार, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना में खोला जायेगा

fo'ksk 'kŷk

- 1- उपर्युक्त सभी माप-तौल विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग) को बिहार राज्य के 104 प्रखण्डों में स्थापन करना होगा
- 2- विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग) का आकार—6.096 मीटर X 3.048 मीटर होना चाहिए
- 3- विज्ञापन पट्ट का मैटेरियल—फ्लैक्स होर्डिंग जी० आई० सीट जिसकी की मोटाई 3.00 मी०मी० से मंडित (Supported) हो, चैनल की लम्बाई— 5.4864 मीटर, मोटाई—10.16 सेंटी मीटर, 5.08 सेंटी मीटर मोटाई का आयरन एंगल से गठित (Framed) होना चाहिए
- 4- तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दोनों अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में मान्य होगा जो एक साथ एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में बन्द होना चाहिए
- 5- आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग) का दर सभी करों सहित अंक एवं अक्षर में प्रविष्ट करना होगा
- 6- दर प्रत्येक प्रखण्ड स्थल पर सामानों की ढुलाई को लेकर प्रविष्ट करना होगा
- 7- कार्योपरान्त कार्य की गुणवत्ता की सत्यापनोपरान्त राशि का भुगतान किया जाएगा
- 8- निविदा के साथ निबंधन प्रमाण पत्र, जी० एस० टी० प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं सभी अद्यतन कागजात की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न तथा अपना वैध दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या अंकित करना होगा
- 9- अधोहस्ताक्षरी या विभागीय सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताये एक या सभी निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा
- 10- निविदा के साथ अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र देना होगा
- 11- भुगतान संबंधी प्रक्रिया निधि के उपलब्धता एवं दर के अनुमोदन के पश्चात ही होगा
- 12- निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि 52000/- रू० होगा, जो बैंक ड्राफ्ट, डाकघर बचत पासबुक या डाकघर में जमा प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्षीय टी० डी० अथवा बिहार राज्य अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र या किसान विकास पत्र (यु० आर. रसीद के साथ) के रूप में देय होगा जो विधिवत संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना के पदनाम से प्रतिज्ञित होना अनिवार्य हैं
- 13- जिस निविदादाता का निविदा स्वीकृत होगा उन्हें 52000/- रू० जमानत के रूप में जमा करना होगा
- 14- काली सूची अथवा अपराधिक मामले से सम्बद्ध नोटरी का शपथ-पत्र देना होगा

uk%Øekd 1|2|3|4|5|6|8|10|12|13 , oa 14 l s l a/kr l Hh vfkŷ] k fufonk ea mi yC/k djluk
vlo' ; d g\$ vU; Fk fufonk fopkj. kr ughagkxk A

foLr'r fufonk vlea. k l puk foHkxh osl kbZ WWW.krishi.bih.nic.ini j ns[kk t k l drk gA

l a Ør Ñf'k funs'kd&l g&fu; a-d] eki , oar[ŷ] fcgkj] i VukA